



2026:AHC:63883

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रकरण संख्या - 3932 वर्ष 2026

दलचंद एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अख्तर अहमद सिद्दीकी
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी
अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अख्तर अहमद सिद्दीकी, तथा श्री संजय सिंह, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया। तथापि, तृतीय प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि प्रतिवादियों के लिए भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता वाद-सूची में मुद्रित है।

2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत 27.08.1992 को प्रारंभ की गई अधिग्रहण कार्यवाही के परिणामस्वरूप एक पंचाट पारित किया गया। दावेदार-याचिकाकर्ता ने 22.05.2017 को अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मामले को न्यायालय को संदर्भित कराने की कार्यवाही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन सहित दाखिल की। उक्त आवेदन जिला न्यायाधीश, रामपुर के न्यायालय द्वारा 01.06.2022 को अस्वीकार कर दिया गया। उसी के विरुद्ध यह याचिका दाखिल की गई है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. दावेदार-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विलंब क्षमा के लिए वैध आधार थे, विशेषतः जब दावेदार-याचिकाकर्ता पागल हो गए और मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, और जहाँ तक दावेदार-याचिकाकर्ता के भाई हर प्रसाद का प्रश्न है, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मामले को संदर्भित कराने में विलंब हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के **के. सुब्बारायुडु एवं अन्य बनाम विशेष उप-कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण); (2017) 12 एससीसी 840** के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

4. प्रस्तुत याचिका में प्रार्थना उक्त आदेश को अपास्त करने और अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मामले को न्यायालय को संदर्भित कराने की है।

5. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दावेदार-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति का प्रतिकार करते हुए कहा कि दावेदार-याचिकाकर्ता के भाई की मृत्यु की कोई तिथि नहीं है और इसके अतिरिक्त यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज भी संलग्न नहीं किया गया कि दावेदार-प्रत्यर्थी पागल हो गए। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष का विलंब अत्यधिक है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रकट रूप से, 27.08.1992 को पंचाट पारित किया गया और दावेदार-याचिकाकर्ता द्वारा 22.05.2017 को विलंब क्षमा आवेदन के साथ अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत कार्यवाही दाखिल की गई। पेपरबुक के पृष्ठ 47 पर विलंब क्षमा आवेदन की प्रति है, जिसमें विलंब क्षमा का आधार यह है कि दावेदार-याचिकाकर्ता पागल हो गए और उनके भाई की मृत्यु हो गई। दावेदार-याचिकाकर्ता के भाई की मृत्यु की तिथि दर्शाने वाला कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है और इसके अतिरिक्त यह दर्शाने के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं है कि दावेदार-प्रत्यर्थी किसी निःशक्तता से पीड़ित थे। इस न्यायालय के समक्ष भी न तो मृत्यु प्रमाण-पत्र और न ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. यद्यपि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदनों पर विचार करते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, किंतु यह स्वतः नहीं है क्योंकि यह विलंब क्षमा में लिए गए आधारों पर निर्भर करता है। दस्तावेज के बिना मात्र कथन करना पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में, अधिनियम की धारा 18(2) न्यायालय को संदर्भित किए जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने की परिसीमा अवधि का प्रावधान करती है। इसके अनुसार, संदर्भ के लिए आवेदन प्रस्तुत कर ही कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, और— यदि आवेदन करने वाला व्यक्ति कलेक्टर द्वारा पारित पंचाट के समय उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था, तो वह कलेक्टर के पंचाट की तिथि से छह सप्ताह के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है; तथा अन्य मामलों में, धारा 12 उपधारा (2) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा दी गई सूचना की प्राप्ति से छह सप्ताह के भीतर, अथवा कलेक्टर के पंचाट की तिथि से छह माह के भीतर, जो भी अवधि पहले समाप्त हो, उस अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

9. तथापि, **के. सुब्बारायुडु एवं अन्य (उपरोक्त)** में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है, किंतु उक्त प्रकरण में एक विभेदक तथ्य है, विशेषतः उस निर्णय के पैरा-9 में जहाँ निम्नलिखित अवलोकन किया गया:-

"9. उच्च न्यायालय ने अपील दाखिल करने में 3671 दिन के विलंब के आधार पर दावेदारों की अपील मुख्यतः खारिज कर दी। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थियों ने अपील दाखिल करने में विलंब का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने संबंधित कागजात अपने सह-ग्रामवासी पुल्लैया को सौंपे थे जो न्यायालयीन कार्यवाही से भलीभाँति परिचित है और उक्त पुल्लैया ने हैदराबाद में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए भी कदम उठाए और उक्त पुल्लैया ने बताया कि अपील दाखिल हो गई और वह कुवैत अपनी आजीविका के लिए चले गए। इस प्रकार अपीलार्थी दावेदार यह समझते रहे कि अपील दाखिल हो गई है। दावेदारों ने आगे कहा कि जब उन्होंने पुल्लैया से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह श्री जगन्मोहन राजू, अधिवक्ता के घर गए और उन्हें पता चला कि उक्त अधिवक्ता का

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2012 में ही निधन हो गया और अधिवक्ता के क्लर्क से पूछताछ पर पता चला कि कोई अपील दाखिल नहीं हुई, जिससे अपील दाखिल करने में 3671 दिन का विलंब हुआ। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दी गई व्याख्या को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त पुल्लैया के शपथ-पत्र और दावेदारों के रुख में अंतर्विरोध है और 3671 दिन के विलंब के कारण से संतुष्ट न होकर, उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।"

10. यहाँ वे आवश्यक तत्व अनुपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत याचिका में प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.06.2022 का है, किंतु प्रस्तुत याचिका इस न्यायालय के समक्ष 23.03.2026 को दाखिल की गई, यानि लगभग चार वर्ष बाद। तदनुसार, हस्तक्षेप का कोई अच्छा आधार नहीं बनता, याचिका अस्वीकार की जाती है।

26 मार्च, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।